जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक-10.06.2025

प्रेस नोट

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 25.05.2025 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 10.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अर्जुन पुत्र सलेख निवासी ग्राम मीरागढ थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 यशपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 10.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.राशिद पुत्र समीर निवासी ग्राम इस्लामपुर भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.फैजान पुत्र जरीफ निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में रंगदारी वसूल करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2016 में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त जुल्फान पुत्र युसुफ निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा रंगदारी वसूल करने के मामले में थाना कैराना पर मु0अ0सं0 412/16 धारा 386/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त जुल्फान उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। इसी क्रम में आज दिनांक 10.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त जुल्फान को दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा 386 भादवि में 07 वर्ष कारावास की सजा व 500/- रूपये का अर्थदंड तथा धारा

120 बी भादवि में 02 वर्ष के कारावास की सजा, अर्थदंड अदा न करने पर 03 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

वर्ष 2014 में अभियुक्त मुनफैत पुत्र ताहिर निवासी बुडनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 126/2014 धारा 379/411 भादवि व 4/25 खान खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 6000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।